भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1990**

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

**सुरक्षा हेतु सरकारी स्कूलों में होमगार्डों को तैनात किया जाना**

**1990. श्री अनुभव मोहंती:**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**

(क) स्कूल परिसरों में हाल ही में लापरवाही या यौन अपराधों के कारण छोटे स्कूली बच्चों के मारे जाने की घटनाओं को देखते हुए, क्या सरकार स्कूलों अथवा उनके प्रबंधनों के लिए यह अनिवार्य करने पर विचार कर रही कि वहां की गुणवत्तापूर्ण तथा कड़ी निगरानी के लिए केवल सरकारी पुनर्वास केन्द्रों से भूतपूर्व सैनिक अथवा अर्धसैन्य कर्मियों को सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात किया जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन उपायों को कैसे और कब तक कार्यान्वित करेगी; और

(ग) क्या मंत्री सभी सरकारी स्कूलों में होमगार्ड तैनात करने पर विचार करेंगे ताकि इससे होमगार्ड कर्मियों को रोजगार के और अधिक अवसर मिल सकें तथा साथ ही गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने पर भी विचार करेंगे?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

**(क) और (ख): इस प्रकार का कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।**

**(ग): भारत के संविधान की VIIवीं अनुसूची के तहत लोक व्यवस्था राज्य का विषय है। होमगार्ड, जो पुलिस का सहायक बल हैं, को संबंधित राज्यों के होमगार्ड अधिनियमों और नियमावली द्वारा शासित किया जाता है, इसलिए , सुरक्षा स्थिति के आंतरिक आकलन और वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर सरकारी स्कूलों में होमगार्डों की तैनाती करने अथवा नहीं करने पर विचार करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। स्कूलों में सुरक्षा गार्डों सहित सभी कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्र में आती है।**

---